

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 376 / 06

संस्थित दि.: 19 / 06 / 06

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

सुनील उर्फ सम्पत पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला, उम्र 46 साल,
निवासी वार्ड नं. 04 देवटोला बालाघाट जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 17 / 11 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस-3), 304ए को आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 30.04.2006 को दिन के करीब 02:30 बजे स्थान गर्राटोला मोनफोर्ट स्कूल के सामने मोड़ पर थानान्तर्गत बिरसा लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.50/एच.0207 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को पलटी खिलाकर उसमें बैठे महेन्द्र, सुमुदलाल, किशन को उपहति कारित की एवं मनोज की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी महेन्द्र धुर्वे ने दिनांक 30.04.2006 को थाना बिरसा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 30.04.2006 को आरोपी सुनील उर्फ सम्पत शुक्ला डम्पर क्रमांक एम. पी.50/एच.0207 में दमोह से गर्राटोला की तरफ गिट्टी भरवाकर तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये लाया मेन रोड स्कूल के पास पलटी खिला दिया, जिससे उसे तथा सुमेदलाल, किशन, मनोज को गिट्टी में दबने से चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 28 / 06 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता

की धारा 279, 337 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से डम्पर क्रमांक एम.पी.50/एच.0207 को जप्त कर आहत मनोज की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने से आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए का इजाफा कर एवं आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 279, 337, 304ए के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस-3), 304ए का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 30.04.2006 को दिन के करीब 02:30 बजे स्थान गर्गाटोला मोनफोर्ट स्कूल के सामने मोड़ पर थानान्तर्गत बिरसा लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी. 50/एच.0207 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
- (2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.50/एच.0207 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटी खिलाकर उसमें बैठे महेन्द्र, सुमुदलाल, किशन को उपहति कारित की ?
- (3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.50/एच.0207 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटी

खिलाकर उसमें बैठे मनोज मृत्यु ऐसी स्थिति में
कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी
में नहीं आती है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी महेन्द्र धुर्वे (अ.सा.04) ने अपने मुख्यपरीक्षण कथन किये हैं कि घटना उसके कथन से लगभग 2—3 साल पुरानी गर्राटोला के पास शाम के 3—4 बजे की है। वह आरोपी की गाड़ी में बैठा था। गाड़ी आरोपी चला रहा था, आरोपी गाड़ी को स्पीड से चला रहा था। सामने मार्शल गाड़ी आने से गाड़ी स्पीड में होने से पलटी खा गई थी, जिससे उसे चोट आयी थी और गाड़ी में बैठे मनोज की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट उसने लिखाई थी, जो प्रदर्श पी—05 है।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता बसंत ठाकरे (अ.सा.02) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि दिनांक 30.04.2006 को अपराध क्रमांक 28/06 की विवेचना हेतु केश डायरी प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने दिनांक 01.05.2006 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—02 तैयार किया था। धनराज मसकरे एवं गुड्डू उर्फ धुरेन्द्र मेश्राम के बताये अनुसार वाहन क्रमांक एम. पी.50—एच.0207 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—01 तैयार किया था। आरोपी से ड्रायविंग लायसेंस, आर.सी.बुक ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र, इन्शोरेन्स की प्रति एवं वाहन की चाबी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—03 तैयार किया था। फरियादी महेन्द्र साक्षी किशन, भेलावी, खुमेन्द्रलाल, गुड्डू उर्फ धुरेन्द्र, धनराज मसकरे के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—04 तैयार किया था। विवेचनाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

(09) अभियोजन साक्षी सालिकराम (अ.सा.10) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि 30.04.2006 को अस्पताल चौकी बालाघाट में आरक्षक के पद पर कार्यरत्

रहते हुये उसके समक्ष ओ.टी.अटैण्डेंट के पद पर कार्यरत् व्यक्ति ने डॉक्टर शरणागत की लिखित तहरीर लाकर पेश की थी जो प्रदर्श पी-12 है, जिसके आधार पर उसने मर्ग इंटिमेशन प्रदर्श पी-13 मृतक मनोज बाबत् लेख किया था। उसके द्वारा नौकरी खुलासा प्रमाण पत्र दिया गया था, जो प्रदर्श पी-13 है।

(10) अभियोजन साक्षी/डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा.08) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि दिनांक 30.04.2006 को आहत मनोज उम्र 23 साल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिनी कोहनी एवं सिर के बांये भाग तथा दाहिने टखने पर एक कटी फटी चोट होना पाया था, दाहिने कान से खून बह रहा था, दोनों आंखों की पुतलिया खुली हुई थी, नब्ज की गति अनियमित एवं ब्लड प्रेशर कम था। आहत को मेडिकल कॉलेज जबलपुर रिफ्र किया था। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत सुमेदलाल उम्र 18 साल के चिकित्सीय परीक्षण में उसने बांये एवं दांये उपरी भुजा के बाहरी भाग पर एक खरौंच तथा सिर के पीछे एक कटी फटी चोट होना पायी थी। उसने अभिमत में बताया कि आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु द्वारा आना प्रतीत हो रही थी, चोटे साधारण प्रकृति की थी, उसके परीक्षण के 2 से 6 घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है। उक्त दिनांक को ही उसने सालिक उम्र 20 साल के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिनी ऐड़ी पर एक कटी फटी चोट आना पायी थी। आहत को आयी चोट साधारण प्रकृति की उसके परीक्षण के 2 से 6 घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत किशन उम्र 25 साल के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिनी उपरी भुजा से नीचे की भुजा तक एक खरौंच, बांये उपरी भुजा से नीचे की भुजा तक एक खरौंच, दाहिनी जांघ से लेकर घुठने तक एक खरौंच, बांये जांघ से लेकर घुठने तक एक खरौंच आना पायी थी। आहत को आयी चोटे कड़ी तथा खुरदुरे वस्तु द्वारा पहुंचाई जाना प्रतीत हो रही थी। सभी चोटे साधारण प्रकृति की उसके परीक्षण के 2 से 6 घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(11) अभियोजन साक्षी/डाक्टर के.प्रसाद (अ.सा.09) ने अपने मुख्यपरीक्षण में

कथन किये हैं कि दिनांक 01.05.2006 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुये उसके समक्ष पुलिस कॉस्टेबल सालिकराम क्रमांक 114 के द्वारा मनोज पिता देवराम, उम्र 23 साल को पोस्ट मार्टम हेतु लाने पर उसने मृतक मनोज के पोस्ट मार्टम में थंग मिडिलिस्ट रायकगर मोस्टेस्ट प्रेजेन थी, दाहिने कान से खून बह रहा था, नाक से फोक निकल रहा था, पीठ पर एक कट्टा हुआ घाव था, सिर के पीछे के भाग पर चमड़ी का कट्टा हुआ घाव था, सिर के ऑक्सीपिटल बॉन में फ्रेक्चर था, हृदय में दांयी तरफ खून और बांये तरफ खाली था, बड़ी आंत में मल एवं गैसेस थी। मृतक की मृत्यु इंट्राजकेनियल हेमरेज एवं बॉन फ्रेक्चर होने के कारण हुई थी। मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण के 12 से 24 घण्टे के अन्दर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है।

(12) अभियोजन साक्षी किशन (अ.सा.03) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि घटना 01.05.2006 की शाम के 04:30 बजे गर्राटोला कॉलेज के आगे की है। वह ट्रक के उपर बैठकर आ रहा था, ट्रक का नम्बर उसे याद नहीं है। ट्रक में वह और महेन्द्र एवं मनोज बैठे हुये थे, ट्रक को आरोपी चला रहा था, पीछे से मेक्स जीप आ रही थी मेक्स जीप का चालक साईड लेकर आगे निकल गया। आरोपी गाड़ी को तेजगति से चला रहा था थोड़ा सा मोड़ आने पर गाड़ी संभल नहीं पायी और दूसरे मोड़ में जाकर पलट गई, जिससे मनोज गाड़ी से डामर रोड पर गिर गया जो बाद में फौत हो गया, तथा उक्त दुर्घटना में उसे तथा महेन्द्र को भी चोट आई थी।

(13) अभियोजन साक्षी खुमेन्द्र पटले (अ.सा.11) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि घटना उसके कथन से 8-10 साल पुरानी दिन के लगभग 2-3 बजे गर्राटोला मोनफोर्ट स्कूल के आगे मोड़ पर रोड की है। घटना के समय डम्पर को आरोपी चला रहा था। मोड़ पर डम्पर पलट गया, घटना कैसे हुई उसे नहीं मालूम। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी धुरेन्द्र (अ.सा.01) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(14) अभियोजन साक्षी मनीष अग्रवाल (अ.सा.05) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन

किये है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर है, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 में आरोपी से क्या जप्ती हुई थी उसे याद नहीं है। वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 पर उसके हस्ताक्षर है, वाहन परीक्षण प्रदर्श पी-06 में किस वाहन का परीक्षण किया गया था उसे याद नहीं है। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी को उसके समक्ष गिरफ्तार किया गया था या नहीं यह उसे याद नहीं है। ,

(15) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मो.दाऊद (अ.सा.06) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी धनराज (अ.सा.07) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी।

(16) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादी ने बीमा राशि लेने के लिये पुलिस से मिलकर झूठी कार्यवाही की है। आरोपी ने दिनांक 30.04.2006 को दिन के करीब 02:30 बजे स्थान गर्राटोला मोनफोर्ट स्कूल के सामने मोड़ पर थानान्तर्गत बिरसा लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.50/एच. 0207 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को पलटी खिलाकर उसमें बैठे महेन्द्र, सुमुदलाल, किशन को उपहति कारित की तथा मनोज की मृत्यु कारित की ऐसे तथ्यों का सर्वथा अभाव है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अभियोजन अपना प्रकरण युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णता: असफल रहा है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(17) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(18) अभियोजन साक्षी/फरियादी महेन्द्र धुर्वे (अ.सा.04) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि घटना उसके कथन से लगभग 2-3 साल पुरानी गर्राटोला के पास शाम के 3-4 बजे की है। वह आरोपी की गाड़ी में बैठा था। गाड़ी आरोपी चला रहा था, आरोपी गाड़ी को स्पीड से चला रहा था। सामने मार्शल गाड़ी आने से गाड़ी स्पीड में होने से पलटी खा गई थी, जिससे उसे चोट आयी थी और गाड़ी में बैठे मनोज की मृत्यु हो गई थी। घटना की रिपोर्ट उसने लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-05 है किन्तु साक्षी

ने अपने प्रतिपरीक्षण के पेरा 02 में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी-05 की रिपोर्ट में तेजी एवं लापरवाही से दुर्घटना हुई यह नहीं लिखाया। दुर्घटना के समय वाहन सामान्य गति से चल रहा था। पुलिस कथन प्रदर्श पी-02 में भी आरोपी ने वाहन तेजी एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की ऐसा नहीं बताया था।

(19) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता बसंत ठाकरे (अ.सा.02) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि दिनांक 30.04.2006 को अपराध क्रमांक 28/06 की विवेचना हेतु केश डायरी प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने दिनांक 01.05.2006 को घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। धनराज मसकरे एवं गुड्डू उर्फ धुरेन्द्र मेश्राम के बताये अनुसार वाहन क्रमांक एम. पी.50-एच.0207 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। आरोपी से ड्रायविंग लायसेंस, आर.सी.बुक ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र, इन्शोरेन्स की प्रति एवं वाहन की चाबी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। फरियादी महेन्द्र साक्षी किशन, भेलावी, खुमेन्द्रलाल, गुड्डू उर्फ धुरेन्द्र, धनराज मसकरे के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। विवेचनाकर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

(20) अभियोजन साक्षी सालिकराम (अ.सा.10) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि 30.04.2006 को अस्पताल चौकी बालाघाट में आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये उसके समक्ष ओ.टी.अटैण्डेंट के पद पर कार्यरत् व्यक्ति ने डॉक्टर शरणागत की लिखित तहरीर लाकर पेश की थी जो प्रदर्श पी-12 है, जिसके आधार पर उसने मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी-13 मृतक मनोज बाबू लेख किया था। उसके द्वारा नौकरी खुलासा प्रमाण पत्र दिया गया था, जो प्रदर्श पी-13 है।

(21) अभियोजन साक्षी/डॉक्टर एम.मेश्राम (अ.सा.08) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि दिनांक 30.04.2006 को आहत मनोज उम्र 23 साल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिनी कोहनी एवं सिर के बांये भाग तथा दाहिने टखने पर एक कटी फटी चोट होना पाया था, दाहिने कान से खून बह रहा था, दोनों आंखों की पुतलिया खुली हुई थी, नब्ज की गति अनियमित एवं ब्लड प्रेशर कम था। आहत को मेडिकल कॉलेज जबलपुर रिफ्र किया था। उसके द्वारा

तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत सुमेदलाल उम्र 18 साल के चिकित्सीय परीक्षण में उसने बाये एवं दांये उपरी भुजा के बाहरी भाग पर एक खरौंच तथा सिर के पीछे एक कटी फटी चोट होना पायी थी। उसने अभिमत में बताया कि आहत को आई चोट कड़े एवं बोथरी वस्तु द्वारा आना प्रतीत हो रही थी, चोटे साधारण प्रकृति की थी, उसके परीक्षण के 2 से 6 घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है। उक्त दिनांक को ही उसने सालिक उम्र 20 साल के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिनी ऐड़ी पर एक कटी फटी चोट आना पायी थी। आहत को आयी चोट साधारण प्रकृति की उसके परीक्षण के 2 से 6 घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। उक्त दिनांक को ही उसने आहत किशन उम्र 25 साल के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिनी उपरी भुजा से नीचे की भुजा तक एक खरौंच, बांये उपरी भुजा से नीचे की भुजा तक एक खरौंच, दाहिनी जांघ से लेकर घुठने तक एक खरौंच, बांये जांघ से लेकर घुठने तक एक खरौंच आना पायी थी। आहत को आयी चोटे कड़ी तथा खुरदुरे वस्तु द्वारा पहुंचाई जाना प्रतीत हो रही थी। सभी चोटे साधारण प्रकृति की उसके परीक्षण के 2 से 6 घण्टे पूर्व की थी। उसके द्वारा तैयार की गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(22) अभियोजन साक्षी/डाक्टर के.प्रसाद (अ.सा.09) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि दिनांक 01.05.2006 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् रहते हुये उसके समक्ष पुलिस कॉस्टेबल सालिकराम क्रमांक 114 के द्वारा मनोज पिता देवराम, उम्र 23 साल को पोस्ट मार्टम हेतु लाने पर उसने मृतक मनोज के पोस्ट मार्टम में यंग मिडिलिस्ट रायकगर मोस्टेस्ट प्रेजेन थी, दाहिने कान से खून बह रहा था, नाक से फोक निकल रहा था, पीठ पर एक कटा हुआ घाव था, सिर के पीछे के भाग पर चमड़ी का कटा हुआ घाव था, सिर के ऑक्सीपिटल बॉन में फ्रेक्चर था, हृदय में दांयी तरफ खून और बांये तरफ खाली था, बड़ी आंत में मल एवं गैसेस थी। मृतक की मृत्यु इंट्राजकेनियल हेमरेज एवं बॉन फ्रेक्चर होने के कारण हुई थी। मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण के 12 से 24 घण्टे के अन्दर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है।

(23) अभियोजन साक्षी किशन (अ.सा.03) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये कि घटना 01.05.2006 की शाम के 04:30 बजे गर्गाटोला कॉलेज के आगे की है। वह ट्रक के उपर बैठकर आ रहा था, ट्रक का नम्बर उसे याद नहीं है। ट्रक में वह और महेन्द्र एवं मनोज बैठे हुये थे, ट्रक को आरोपी चला रहा था, पीछे से मेक्स जीप आ रही थी मेक्स जीप का चालक साईड लेकर आगे निकल गया। आरोपी गाड़ी को तेजगति से चला रहा था थोड़ा सा मोड़ आने पर गाड़ी संभल नहीं पायी और दूसरे मोड़ में जाकर पलट गई, जिससे मनोज गाड़ी से डामर रोड पर गिर गया जो बाद में फौत हो गया, तथा उक्त दुर्घटना में उसे तथा महेन्द्र को भी चोट आई थी। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-01 में आरोपी ने तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर पलटी खिलाई यह नहीं बताया। यदि पुलिस ने दिनांक 30.04.2006 को डम्फर में बैठने वाली बात लिखी हो तो वह गलत है। दुर्घटना के समय वाहन सामान्य गति से ही चल रहा था।

(24) अभियोजन साक्षी खुमेन्द्र पटले (अ.सा.11) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि घटना उसके कथन से 8-10 साल पुरानी दिन के लगभग 2-3 बजे गर्गाटोला मोनफोर्ट स्कूल के आगे मोड़ पर रोड़ की है। घटना के समय डम्फर को आरोपी चला रहा था। मोड़ पर डम्फर पलट गया, घटना कैसे हुई उसे नहीं मालूम। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी धुरेन्द्र (अ.सा.01) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस उसके पास आई और उससे उसका नाम पूछा और हस्ताक्षर करवा लिये और उससे कोई पूछताछ नहीं की। पुलिस ने उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(25) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मनीष अग्रवाल (अ.सा.05) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर है, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 में आरोपी से क्या जप्ती हुई थी उसे याद नहीं है। वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 पर उसके हस्ताक्षर है, वाहन परीक्षण प्रदर्श पी-06 में किस वाहन का परीक्षण किया गया था

उसे याद नहीं है।

(26) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मो.दाऊद (अ.सा.06) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी धनराज (अ.सा.07) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी।

(27) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी महेन्द्र एवं साक्षी किशन, खुमेन्द्र, मनीष, मो दाऊद के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथनों की पुष्टि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा नहीं करने से यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है कि आरोपी सुनील उर्फ सम्पत ने 30.04.2006 को दिन के करीब 02:30 बजे स्थान गर्राटोला मोनफोर्ट स्कूल के सामने मोड़ पर थानान्तर्गत बिरसा लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.50/एच.0207 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को पलटी खिलाकर उसमें बैठे महेन्द्र, सुमुदलाल, किशन को उपहति कारित की एवं मनोज की मृत्यु कारित की।

(28) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी सुनील उर्फ सम्पत ने दिनांक 30.04.2006 को दिन के करीब 02:30 बजे स्थान गर्राटोला मोनफोर्ट स्कूल के सामने मोड़ पर थानान्तर्गत बिरसा लोकमार्ग पर वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.50/एच.0207 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को पलटी खिलाकर उसमें बैठे महेन्द्र, सुमुदलाल, किशन को उपहति कारित की एवं मनोज की मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(29) परिणाम स्वरूप आरोपी सुनील उर्फ सम्पत को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस-3), 304ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया

जाता है।

(30) प्रकरण में आरोपी सुनील उर्फ सम्पत पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(31) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.50/एच.0207 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)